प्रेषक

आयुक्त स्टाम्प,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी

उत्तर प्रदेश।

संख्याः 226/शि0का0/मूल्य-सूची/99 दिनांक: 29.07.1999

विषय: मूल्य सूची जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि दिनांक 30.08.99 से समस्त उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 के अर्न्तगत नई मूल्य सूची आपके स्तर से जारी की जानी है। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि मूल्य सूची जारी करते समय उक्त नियमावली के प्राविधान के अनुसार ही मूल्य सूची जारी की जाए तथा शासनादेश संख्या क0स0वि0-5-3090/11-1997 व शासनादेश संख्या क0स0वि0-5-2897/11-1998 का कियान्वयन विशेष रूप से सुनिश्चित किया जाए।

जारी की जाने वाली मूल्य सूची पारदर्शी होनी चाहिए तथा सम्पत्ति का मूल्यांकन बाजारी मूल्य के आस-पास होना चाहिए। कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर समय से मूल्य सूची जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0/-

(बी0एम0मीना)

आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।

संख्या: 226(1)/शि0का0/मूल्य सूची/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

ह0/-

(बी0एम0मीना)

आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश,

लखनऊ।